

04.04.2022:- आज यह पत्रावली प्रार्थीया जरिये अधिवक्ता श्री रामकुमार बिश्नोई के प्रार्थना-पत्र पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी की मृत्यु हो चुकी है प्रतिवादी की मृत्यु होने के कारण वादीया उक्त वाद को नहीं चलाना चाहती। वादीया के अधिवक्ता उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादपत्र वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तस्बीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

